भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3383

जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है

अत्यधिक टोल वसूली

3383. श्री हनुमान बेनीवाल:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच)-8 पर संग्रहित टोल टैक्स निर्माण लागत की तुलना में काफी अधिक है;

(ख) यदि हां, तो संग्रहित टोल टैक्स तथा उक्त राजमार्ग की निर्माण लागत संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में राजस्थान की तुलना में अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग होने के बावजूद राजस्थान में टोल टैक्स वसूली इन दोनों राज्यों की तुलना में अधिक है तथा यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार को पता है कि राजस्थान में टोल टैक्स वसूली के बावजूद कई राष्ट्रीय राजमार्गों की हालत खराब है तथा यदि हां, तो ऐसी सड़कों पर टोल टैक्स वसूली का औचित्य क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर शुल्क प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क का संग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमावली के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है, जो थोक मूल्य सूचकांक से अनुक्रमित एनएच लंबाई के प्रति किलोमीटर आधार दर निर्दिष्ट करता है।

इसके अलावा, किसी भी राजमार्ग पर प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण की राशि उस मार्ग पर यातायात की संख्या, वाहन की श्रेणी (मल्टी-एक्सल आदि), गलियारे के प्रकार (औद्योगिक केंद्र आदि), राजमार्ग की महत्वपूर्ण शहरों से संपर्कता आदि के आधार पर निर्धारित होती है।

(ख) एनएच-48 (पुराना एनएच-08) के दिल्ली-जयपुर खंड पर संग्रहण प्रयोक्ता शुल्क और रखरखाव लागत सहित निर्माण लागत, उक्त खंड पर व्ययीत अन्य दीर्घकालीन लागत का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र .स.	**एनएच-48 का खंड (पुराना एनएच-08)**	**परियोजना की नियत तिथि**	**प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण (करोड़ रुपए में)**	**व्यय की गई लागत (करोड़ रुपए में)**
1	**गुड़गांव- कोटपुतली - जयपुर**	**03.04.2009**	**9,218.30**	**6,430.00**
2	**दिल्ली-गुड़गांव**	**12.01.2003**	**2,727.50**	**2,489.45**
कुल			**11,945.80**	**8,919.45**

संग्रहण के प्रारंभ से समयावधि के दौरान संग्रहित प्रयोक्ता शुल्क में छूट नहीं दी जाती है, इसलिए इसकी निर्माण लागत से तुलना नहीं की जा सकती।

(ग) राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रयोक्ता शुल्क संग्रह निम्नानुसार है:

राज्य का नाम	प्रयोक्ता शुल्क संग्रह (करोड़ रुपए में)
राजस्थान	5,885.03
उत्तर प्रदेश	6,695.40
महाराष्ट्र	5,352.53

इसके अलावा, शुल्क प्लाजा पर प्रयोक्ता शुल्क राष्ट्रीय राजमार्ग के खंड के उपयोग के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के प्रावधानों के अनुसार एकत्र किया जाता है जो देश भर में समान रूप से संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए लागू होते हैं। प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण राजमार्ग की लंबाई के अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चलने वाले वाहनों की श्रेणी और यातायात पर निर्भर करता है।

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क प्लाजाओं पर प्रयोक्ता शुल्क दरें मौजूदा राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियमों के अनुसार लगाई जाती हैं।

पुलों, संरचनाओं आदि सहित राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) की मरम्मत और रख-रखाव विभिन्न तरीकों से किया जाता है। इंजीनियरिंग, प्रापण और निर्माण (ईपीसी) अनुबंधों में, संविदाकार निर्माण अवधि के दौरान और उसके बाद दोष देयता अवधि-सह-रखरखाव अवधि के दौरान सड़क का रखरखाव करते हैं। डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण (डीबीएफओटी)/हाइब्रिड एन्युइटी मोड (एचएएम) अनुबंधों में, रियायतकर्ता निर्माण अवधि के दौरान और उसके बाद रियायत अवधि के अंत तक सड़क का रखरखाव करते हैं। टोल ऑपरेट एंड ट्रांसफर (टीओटी)/इनविट समझौतों के विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) के रियायतकर्ता रियायत अवधि के दौरान सड़क का रखरखाव करते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग के बाकी खंडो का रखरखाव आम तौर पर कार्य निष्पादन आधारित रखरखाव अनुबंध (पीबीएमसी) और अल्पकालिक रखरखाव अनुबंध (एसटीएमसी) के संविदाकारों द्वारा किया जाता है।

*****